अध्याय-4

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति

अध्याय-4

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रद्धति

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना के साथ एक मजबूत आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता एवं गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और परिचालन में हैं, तो सरकार को कार्यनीतिक योजना एवं निर्णय लेने के साथ-साथ अपने बुनियादी उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता करते हैं। इस अध्याय में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के साथ रा.रा.क्षे.दि.स. के अनुपालन पर चर्चा की गई है।

लेखाओं की पूर्णता से संबंधित मामले

4.1 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधियां

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बड़ी धनराशि सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को हस्तांतरित करती है।

चूँकि ये निधियां रा.रा.क्षे.दि.स. के बजट के माध्यम से नहीं दी जाती हैं, इसलिए ये रा.रा.क्षे.दि.स. के खातों में प्रतिबिंबित नहीं होती हैं। रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा ₹ 309.76 करोड़ की धनराशि रा.रा.क्षे.दि.स. के अंतर्गत् राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई थी जैसा कि वर्ष 2022-23 के दौरान पीएफएमएस पोर्टल पर दर्शाया गया है।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (फरवरी 2024) कि मामले को तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के लिए वित्त विभाग को भेजा गया था।

पारदर्शिता से संबंधित मामले

4.2 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलंब

जीएफआर, 2017 का नियम 238 निर्दिष्ट करता है कि विशेष उद्देश्यों हेतु वर्ष के दौरान जारी किए गए अनुदानों के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा

अनुदानग्राहियों से वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों तक की अवधि में उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्राप्त किए जाने चाहिए।

हालांकि 31 मार्च 2022 तक जारी किए गए अनुदानों के संबंध में अनुदानग्राहियों द्वारा ₹ 9,314.85 करोड़ की कुल राशि के 1,339 उ.प्र. 31 मार्च 2023 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण की कमी का अर्थ है कि यद्यपि व्यय किया गया है परंतु अनुदानग्राहियों द्वारा यह नहीं बताया गया कि निधियां कैसे खर्च की गई थीं। इसका कोई आश्वासन भी नहीं है कि इन निधियों को उपलब्ध कराने के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है। यह अधिक महत्व रखता है यदि पूँजीगत व्यय के लिए बने सहायता अनुदान (स.अ.) के प्रति ऐसे उ.प्र. लंबित हैं। चूँकि उ.प्र. की प्रस्तुति की कमी दुर्विनियोग के जोखिम से भरा है, यह आवश्यक है कि रा.रा.क्षे.दि.स. को इस पहलू की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए एवं संबंधित विभागों को समय पर उचित प्रकार से उ.प्र. की प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी बनाना चाहिए। बकाया उ.प्र. का वर्ष-वार विवरण विस्तृत रूप से नीचे **तालिका 4.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया उ.प्र. की संख्या	राशि
1993-94 से 2011-12 तक	1,047	220.91
2012-13	103	188.92
2013-14	27	0.64
2014-15	26	0.32
2015-16	08	178.34
2016-17	11	685.15
2017-18	04	155.52
2018-19	07	657.67
2019-20	08	336.95
2020-21	19	2,395.43
2021-22	79	4,495.00
कुल	**1,339**	**9,314.85**

यह देखा जा सकता है कि ₹ 220.91 करोड़ के 1,047 उ.प्र. (78.19 *प्रतिशत)* 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जबकि ₹ 9,093.94 करोड़ के 292 उ.प्र. (21.81 *प्रतिशत*) 2012-13 से 2021-22 तक बकाया थे।

31 मार्च 2022 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए 10 प्रमुख विभागों के संबंध में बकाया उ.प्र. का विवरण **चार्ट 4.1** में दिया गया है:

चार्ट 4.1: 2021-22 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए 10 प्रमुख विभागों के बकाया उ.प्र. का विवरण

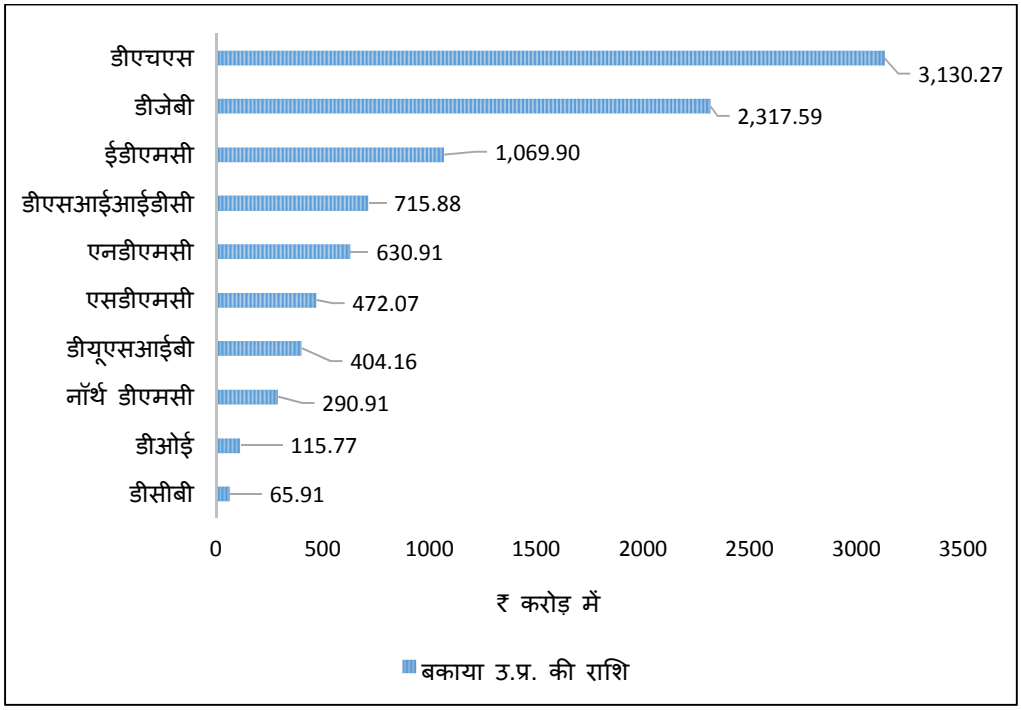

स्रोतः प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम के बकायों ने क्रमशः ₹ 3,130.27 करोड़ (33.61 *प्रतिशत*), ₹ 2,317.59 करोड़ (24.88 *प्रतिशत*) तथा ₹ 1,069.90 करोड़ (11.49 *प्रतिशत)* का योगदान दिया।

यह प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी तथा सरकार की ओर से पूर्व अनुदानों के उचित उपयोग को सुनिश्चित किए बिना नए अनुदान वितरित करने की प्रवृत्ति को इंगित करता है। उ.प्र. के लंबित रहने से धन के दुरुपयोग और धोखाधड़ी का जोखिम था।

इसके अतिरिक्त उ.प्र. के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदानों का उपयोग उस अभीष्ट उद्देश्य के लिए किया था जिसके लिए वे स्वीकृत किए गए थे।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने **तालिका 4.1** तथा **चार्ट 4.1** में दर्शाई राशियों की पुष्टि की (फरवरी 2024)।

यह सिफारिश की जाती है कि प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. वित्त विभाग के साथ मिलकर लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए वर्ष 2012-13 की अवधि के लिए बकाया उ.प्र. के कारणों की जाँच करें।

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे में शामिल बकाया उ.प्र. से संबंधित तथ्यों एवं आंकड़ों के सत्यापन हेतु पाँच विभागों/संस्थानों जैसे समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) दिल्ली छावनी बोर्ड का चयन विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए किया गया था।

विभाग-वार मुख्य अभ्युक्तियों की चर्चा अनुवर्ती पैराओं में की गई है।

4.2.1 समाज कल्याण निदेशालय

समाज कल्याण विभाग गैर-सरकारी संगठनों/मनोरंजन केंद्रों को उपयोग हेतु अनुदान जारी करता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं के अनुलग्नक 'ई' के अनुसार ₹ 37.32 करोड़ की राशि के 1,164 उ.प्र. बकाया थे।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि निदेशालय ने लंबित उ.प्र. से संबंधित कोई अभिलेख/सूचना नहीं रखी थी। उपर्युक्त लंबित उ.प्र. की सूचना के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदानों का उपयोग उस अभीष्ट उद्देश्य के लिए किया था जिसके लिए वे स्वीकृत किए गए थे।

विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि यह 1993-94 से 2021-22 की अवधि के लिए संबंधित संगठनों से लंबित उ.प्र. के विवरण एकत्र करने तथा संकलित करने की प्रक्रिया में था। यह भी कहा गया कि उ.प्र. लेखा अधिकारी (डीएसडब्ल्यू) के माध्यम से एक माह के भीतर वेतन एवं लेखा कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे।

4.2.2 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे के उ.प्र. की विवरणी के अनुलग्नक 'ई' के अनुसार ₹ 3,130.27 करोड़ की राशि के नौ उ.प्र. डीजीएचएस से बकाया थे।

डीजीएचएस ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि वर्ष 1998-99 में ₹ 2.69 करोड़ के नौ बकाया उ.प्र. से संबंधित अभिलेख आसानी से उपलब्ध नहीं थे। आगे कहा गया कि उनके अभिलेखों के अनुसार अन्य कोई उ.प्र. बकाया नहीं था क्योंकि ₹ 3,127.58 करोड़ के बचे हुए अव्ययित शेष को वर्ष 2022-23 के दौरान जारी स.अनु. के प्रति समायोजित किया गया था।

संबंधित लेखा अधिकारी वित्त लेखाओं तथा विभागीय अभिलेखों के बीच बेमेल समाधान/सुधार के लिए मामले को डीजीएचएस के साथ उठा सकता है।

विभिन्न संस्थानों/संगठनों को जारी स.अनु. से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित विसंगतियां देखी गईं:-

i. स.अनु. जारी करने के लिए जारी संस्वीकृति की शर्त सं. 5 के अनुसार संगठन/संस्थान के कार्यकारी प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

   लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इंद्रप्रस्थ व्यवसायिक एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य समिति (आईवीपीएसएस) तथा चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय (सीएनबीसी) द्वारा प्रस्तुत उ.प्र. पर नियुक्त कार्यकारी प्रमुख द्वारा नहीं, केवल उनके सीए तथा वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

ii. जीएफआर के नियम 238(1) के अनुसार, अनुदानग्राही द्वारा उ.प्र. प्रस्तुत करना आवश्यक है जैसा कि जीएफआर 12-ए प्रपत्र में निर्धारित है।

   उ.प्र. की नमूना जांच से पता चला कि जीएफआर के उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन में उ.प्र. को जीएफआर 12-ए प्रपत्र के बजाय जीएफआर 19-ए प्रपत्र में प्रस्तुत किया जा रहा था।

iii. जीएफआर के नियम 230(8) के अनुसार किसी भी अनुदानग्राही संस्थान को जारी सहायता अनुदान अथवा अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) के प्रति सभी ब्याज तथा अन्य अर्जित आय को लेखाओं को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद अनिवार्य रूप से समेकित निधि में प्रेषित किया जाना चाहिए। ऐसे अग्रिमों को भावी निर्गमों के प्रति समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि अनुदानग्राही द्वारा अर्जित ब्याज को समेकित निधि में जमा नहीं किया गया था तथा जीएफआर के उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन में भावी अनुदान के निर्गम के प्रति समायोजित किया गया था।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (फरवरी 2024) कि मामले को संबंधित विभाग को तथ्यों एवं आंकड़ों के सत्यापन हेतु टिप्पणी प्रदान करने के अनुरोध के साथ भेजा गया था।

4.2.3 दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड (डीटीटीडीसी)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे के उपयोगिता प्रमाणपत्र की विवरणी के अनुलग्नक 'ई' के अनुसार, ₹ 0.06 करोड़ की राशि के 'शून्य' उ.प्र. बकाया थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹ 0.06 करोड़ की राशि की उपर्युक्त बकाया राशि को वास्तव में वर्ष 2016-17 के लिए स.अनु. के प्रति समायोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, डीटीटीडीसी के पास आज तक उ.प्र. की कोई भी मात्रा अथवा राशि लंबित नहीं थी।

डीटीटीडीसी ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि इसने 2015-16 के दौरान स.अनु. से ₹ 8.67 करोड़ की राशि प्राप्त की थी जिसमें से ₹ 0.06 करोड़ के अव्ययित शेष को 2016-17 में समायोजित किया गया था। इसने आगे कहा कि ₹ 0.06 करोड़ के उ.प्र. जुलाई 2019 में भारत सरकार को भेजा गया था तथा इसके पास कोई उ.प्र. (मात्रा तथा राशि) लंबित नहीं था।

संबंधित पीएओ तथा डीटीटीडीसी बकाया उ.प्र. का समाधान तथा निपटान कर सकते हैं।

4.2.4 नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी)

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं के अनुसार एनडीएमसी के पास ₹ 630.91 करोड़ की राशि के 21 उ.प्र. लंबित थे।

वित्त लेखाओं (एफए) में उल्लिखित उपर्युक्त स्थिति के संदर्भ में एनडीएमसी ने निम्नानुसार कहा (सितंबर 2023):

i. वर्ष 1993-94, 1996-97 तथा 1997-98 के लिए लंबित उ.प्र. 30 वर्ष पुराने थे तथा उन संबंधित योजना/परियोजना के विवरणों के अभाव के कारण इसका पता नहीं लगाया जा सका जिनके प्रति ये लंबित थे। एनडीएमसी ने शहरी विकास विभाग (यू.डी.), रा.रा.क्षे.दि.स. से भी लंबित उ.प्र. की सटीक मात्रा बताने का अनुरोध किया है जिसमें विशेष रूप से उस योजना/परियोजना का नाम दर्शाया गया है जिसके लिए एनडीएमसी को 1993-94 से 1997-98 से संबंधित बकाया उ.प्र. के निपटान हेतु स.अनु. दिए गए हैं।

ii. वर्ष 2015-16 तथा 2018-19 के बकाया उ.प्र. के संबंध में इसे पहले ही भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया था तथा अब एनडीएमसी के पास कुछ लंबित नहीं है।

iii. वर्ष 2016-17 के लिए एफए के अनुसार बकाया उ.प्र. की राशि ₹ 24,715.40 लाख थी। हालांकि एनडीएमसी ने कहा कि इसने 2016-17 के दौरान ₹ 17,445.45 लाख का अनुदान प्राप्त किया था जिसके लिए उ.प्र. पहले ही भारत सरकार को भेज दिए गए थे।

iv. वर्ष 2017-18 के लिए एफए के अनुसार बकाया उ.प्र. की राशि ₹ 6,361.91 लाख थी। हालांकि, एनडीएमसी ने कहा कि इसने 2017-18 के दौरान ₹ 12,343.63 लाख का अनुदान प्राप्त किया था जिसके लिए उ.प्र. पहले ही भारत सरकार को भेज दिए गए थे।

v. वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के लिए एनडीएमसी ने अपने विभागों/डिवीजनों को 2020-21 तथा 2021-22 की अवधि के लिए उ.प्र. का विवरण प्रदान करने के निर्देश दिए थे जो बाद में शहरी विकास विभाग (यू.डी.) को भेज दिए जाने थे।

एनडीएमसी तथा रा.रा.क्षे.दि.स. का संबंधित विभाग बकाया उ.प्र. का समाधान तथा निपटान कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त एनडीएमसी द्वारा प्रस्तुत उ.प्र. की नमूना जांच से पता चला कि वर्ष 2018-19 के लिए एनडीएमसी द्वारा प्रस्तुत उ.प्र. जीएफआर 2017 के नियम 238(1) के उल्लंघन में प्रपत्र 12ए के निर्धारित प्रारूप के बजाय जीएफआर प्रपत्र 19ए में थे।

4.2.5 दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे के अनुलग्नक 'ई' के अनुसार ₹ 65.91 करोड़ के 73 उ.प्र. 1994-95 से 2021-22 की अवधि के दौरान बकाया थे।

डीसीबी ने लंबित उ.प्र. से संबंधित कोई अभिलेख/सूचना प्रस्तुत नहीं की और कहा (सितंबर 2023) कि 1994-95 से 2021-22 की अवधि के लिए दर्शाए गए देय उ.प्र. मोटर वाहन कर, टर्मिनल कर तथा मनोरंजन कर के रूप में राजस्व का हिस्सा थे जो बाद में रा.रा.क्षे.दि.स. से बेसिक कर असाइनमेंट (बीटीए) में मिला दिया गया था। इसलिए राजस्व हिस्से/बीटीए के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्रस्तुति को आवश्यक नहीं समझा गया। यह भी कहा गया कि इसने रा.रा.क्षे.दि.स. से सहायता अनुदान 1994-95 से 2015-16 की अवधि के दौरान केवल प्राथमिक शिक्षा (गैर योजनागत स्कीम) के लिए प्राप्त किया था जिसके लिए उ.प्र. पहले ही शहरी विकास विभाग को भेज दिए गए थे।

रा.रा.क्षे.दि.स. का संबंधित विभाग बकाया उ.प्र. के समाधान तथा निपटान के लिए डीसीबी के साथ मामले को उठा सकता है।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (फरवरी 2024) कि मामले को संबंधित विभाग को तथ्यों एवं आंकड़ों के सत्यापन हेतु टिप्पणी प्रदान करने के अनुरोध के साथ भेजा गया था।

4.3 संक्षिप्त आकस्मिक बिल

संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) बिलों पर राज्य सरकार द्वारा व्यय की उन मदों पर आकस्मिक प्रभारों का आहरण किया जाता है जिसके लिए आहरण के समय

अंतिम वर्गीकरण एवं सहायक वाऊचर उपलब्ध नहीं होते हैं। आरंभ में अग्रिम के रूप में लिए जाते हैं, इसके बाद के समायोजन ए.सी. बिलों के आहरण की एक निर्धारित अवधि के भीतर विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डी.सी.) बिल जमा कर के सुनिश्चित किए जाते हैं। डी.सी. बिलों में ए.सी. बिलों के माध्यम से आहरित राशि के लिए उप-वाउचर के साथ-साथ संक्षिप्त व्यय शामिल होता है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी को इन सभी मामलों में नियंत्रक अधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिल निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

प्राप्ति तथा भुगतान नियमावली का नियम 118 में प्रावधान है कि प्रत्येक एसी बिल के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले के माह में आहरित किए गए ए.सी. बिलों के संदर्भ में विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिलों को नियंत्रक अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार, एसी बिल पर आहरित गया धन डी.सी. बिल की प्रस्तुति द्वारा निकालने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर समायोजित हो जाना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र के बिना किसी भी स्थिति में एसी बिल को समायोजित नहीं किया जाना चाहिए।

ए.सी. बिलों के प्रति डी.सी. बिल प्रस्तुत करने में वर्ष-वार प्रगति का विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया हैः

तालिका 4.2: ए.सी. बिलों के प्रति डी.सी. बिल प्रस्तुत करने में वर्ष-वार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंरभिक शेष		वि.व. 2022-23 के दौरान समाशोधन		31 मार्च 2023 तक अंतिम शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2018-19 तक	**3,795**	**256.18**	**183**	**70.53**	**3,612**	**185.65**
2019-20	219	27.85	71	12.54	148	15.32
2020-21	136	13.99	27	03.21	109	10.78
2021-22	536	134.40	337	62.52	199	71.88
2021-22 तक	**4,686**	**432.43**	**618**	**148.80**	**4,068**	**283.63**
2022-23	2,629#	403.19	1879	111.93	750	291.26
कुल	**7,315**	**835.62**	**2,497**	**260.73**	**4,818**	**574.89**

वर्ष 2022-23 के दौरान आहरित कुल नए बिलों का प्रतिनिधित्व करता है।

स्रोतः प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

तालिका 4.2 से देखा जा सकता है कि मार्च 2023 तक ₹ 574.89 करोड़ के 4,818 एसी बिल बकाया थे। यह पाया गया कि 76 सरकारी विभागों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखाओं के बंद होने से पहले ₹ 291.26 करोड़ की राशि के 750 डी.सी. बिल जमा नहीं किए और इसलिए इसका कोई आश्वासन नहीं था कि वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तव में ₹ 291.26 करोड़ का व्यय उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिस उद्देश्य के लिए इसे विधानमण्डल द्वारा अधिकृत किया गया था।

2022-23 के दौरान ₹ 403.19 करोड़ के ए.सी. बिलों के प्रति ₹ 213.14 करोड़ (52.86 *प्रतिशत*) की राशि मार्च 2023 से संबंधित थी।

आहरित अग्रिमों को लेखाबद्ध नहीं किए जाने से अपव्यय/दुर्विनियोजन/दुराचार आदि में वृद्धि की संभावना है। विभिन्न विभागों द्वारा ए.सी. बिलों की निकासी के बाद निर्धारित समय के अंदर डी.सी. बिलों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए वह प्राप्त की गई थी। इसलिए, इसकी बारीकी से निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। यह सिफारिश की जाती है कि प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. वित्त विभाग के साथ मिलकर लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए बकाया ए.सी. बिलों के कारणों की जाँच करें। ए.सी. बिलों के समाशोधन की प्रवृत्तियां **चार्ट 4.2** में दी गई है:

चार्ट 4.2: ए.सी. बिलों के समाशोधन की प्रवृत्ति

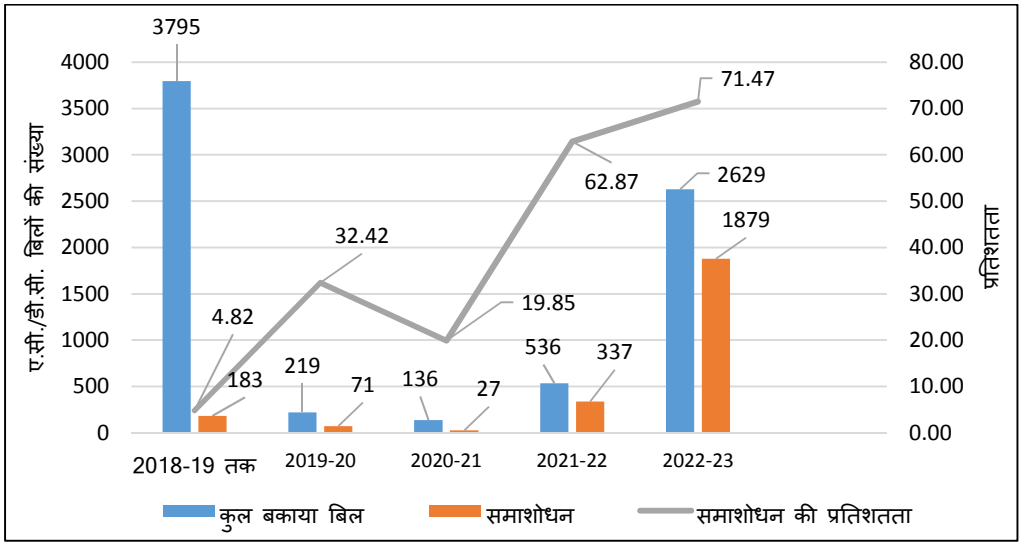

उपर्युक्त **चार्ट 4.2** से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए बकाया ए.सी. बिलों के समाशोधन में 4.82 *प्रतिशत* से 71.47 *प्रतिशत* तक वृद्धि की प्रवृत्ति थी। हालांकि 2022-23 तक बकाया ए.सी. बिलों का कुल संचित समाशोधन कुल बिलों का 34.14 *प्रतिशत* था।

प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित डी.सी. बिलों का विवरण **चार्ट 4.3** में दिया गया है:

चार्ट 4.3: प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित डी.सी. बिल

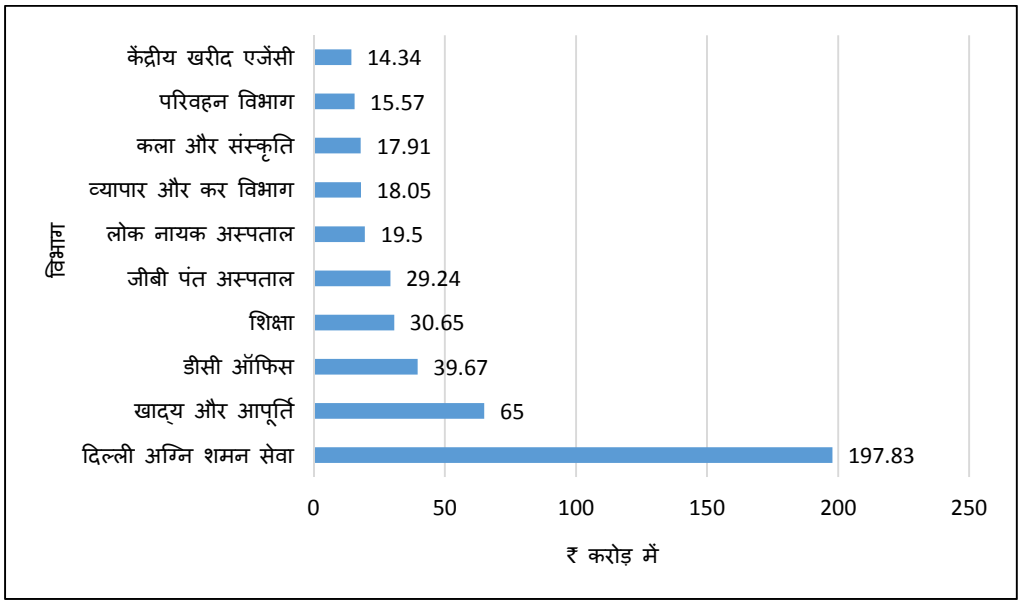

स्रोतः वर्ष 2022-23 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे

उपर्युक्त **चार्ट 4.3** से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि रा.रा.क्षे.दि.स. के दस प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित डी.सी. बिल ₹ 14.34 करोड़ से ₹ 197.83 करोड़ तक के थे।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने **तालिका 4.21**, **चार्ट 4.2** तथा **चार्ट 4.3** में दर्शाई गई राशियों की पुष्टि की (फरवरी 2024)।

पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए ए.सी. बिलों का आहरण

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 96 के अनुसार 'आकस्मिक प्रभार' अथवा 'आकस्मिक व्यय' शब्द का अर्थ है कि इसमें सभी आकस्मिक तथा अन्य व्यय (स्टोर सहित) शामिल हैं जो एक कार्यालय के रूप में प्रबंधन के लिए अथवा तकनीकी स्थापनाओं और उसके सदृश के कार्यचालन के लिए किए जाते हैं जैसे प्रयोगशाला, कार्यशाला, औद्योगिक अधिष्ठापन, स्टोर डिपो परंतु उस व्यय

के अतिरिक्त जो विशेष रूप से व्यय के कुछ अन्य शीर्ष जैसे निर्माण 'कार्य', 'उपकरण तथा संयंत्र' के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

2022-23 के दौरान दिल्ली अग्नि शमन सेवा (डीएफएस) का ₹ 197 करोड़ का एक एसी बिल पूंजीगत परिसंपत्तियों[1] के सृजन के लिए अहारित किया गया था जो उपरोक्त नियम का उल्लंघन था।

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं में शामिल बकाया ए.सी. बिलों से संबंधित तथ्यों तथा आंकड़ों के सत्यापन के लिए पांच विभागों/संस्थानों जैसे कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, मुख्य निर्वाचन कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, व्यापार एवं कर विभाग, परिवहन विभाग को विस्तृत लेखपरीक्षा हेतु चुना गया था। विभाग-वार मुख्य अभियुक्तियों की चर्चा अनुवर्ती पैराओं में की गई है।

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 का नियम 118 निर्धारित करता है कि प्रत्येक एसी बिल के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाएगा कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले के माह में आहरित किए गए ए.सी. बिलों के संबंध में डी.सी. बिलों को नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रमाणपत्र के बिना किसी भी तरह से ए.सी. बिलों को भुनाया नहीं जा सकता है। उक्त नियमों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ए.सी. बिलों को उनके आहरण के एक माह के भीतर समायोजित करने की आवश्यकता है।

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 110 के अनुसार कार्यालय द्वारा आकस्मिक व्यय का एक रजिस्टर जीएआर 27 प्रपत्र में रखा जाएगा तथा कार्यालयाध्यक्ष के आद्याक्षर प्रत्येक मद के भुगतान की तिथि के सामने दर्ज किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां इस प्रकार हैं:

4.3.1 कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग (डीएसीएल)

(क) ₹ 17.90 करोड़ के बकाया ए.सी. बिलों का गैर-समायोजन

विभागीय अभिलेखों से पता चला कि ₹ 17.90 करोड़ के एसी बिल 19 मार्च 2009 से 19 सितंबर 2023 तक लंबित थे। डी.सी. बिलों की

[1] 15 आयातित और अतिविशिष्ट अग्निशमन वाहनों, बचाव वाहनों/उपकरणों की खरीद के लिए डीएमआरसी को अग्रिम राशि दी गई

गैर-प्रस्तुति के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए ये आहरित की गई थीं।

(ख) डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब

विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में 105 दिनों से 599 दिनों का विलंब था जो प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के नियम 118 का उल्लंघन था जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 4.3: डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब

क्र.सं.	अग्रिम बिल संख्या व तिथि	आहरित राशि (₹ में)	डी.सी. बिल संख्या व तिथि के द्वारा निपटाए गए	निपटान में विलंब (दिनों में)
1.	एसीबी-167 दिनांक 22.11.2021	57,29,400	डीसीबी-134 दिनांक 7.9.2022	259
2.	एसीबी-249 दिनांक 30.3.2021	1,00,00,000	डीसीबी-112 दिनांक 17.9.2021	141
3.	एसीबी-424 दिनांक 27.12.2019	5,00,000	डीसीबी-107 दिनांक 16.9.2021	599
4.	एसीबी-533 दिनांक 3.2.2020	68,000	डीसीबी-35 दिनांक 15.7.2020	133
5.	एसीबी-542 दिनांक 14.2.2020	1,65,000	डीसीबी-32 दिनांक 15.7.2020	122
6.	एसीबी-571 दिनांक 02.03.2020	2,35,000	डीसीबी-34 दिनांक 15.7.2020	105

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि उपर्युक्त नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब था। आहरित ए.सी. बिलों के प्रति डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब के कारण प्रस्तुत नहीं किए गए।

(ग) निर्धारित प्रपत्र में आकस्मिक व्यय रजिस्टर का अनुरक्षण न करना

लेखापरीक्षा में देखा गया कि डीएसीएल द्वारा आकस्मिक व्यय से संबंधित रजिस्टर को निर्धारित प्रपत्र में नहीं रखा जा रहा था जो प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 110 का उल्लंघन था। आकस्मिक व्यय का रजिस्टर न रखे जाने के कारण मांगे गए (सितंबर 2023) परंतु विभाग का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है।

4.3.2 मुख्य निर्वाचन कार्यालय

(क) वित्त लेखाओं और विभागीय अभिलेखों के बीच गैर-समायोजित अंतर:

जबकि वर्ष 2022-23 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं के अनुलग्नक 'डी' में ₹ 13.19 करोड़ (31 मार्च 2023) के लंबित बकाया एसी बिल दर्शाए गए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के कार्यालय के विभागीय अभिलेख में ₹ 8.88 करोड़ (31 मार्च 2023) के बकाया एसी बिल दिखाए गए। जिनमें ₹ 4.31 करोड़ का अंतर गैर-समायोजित रह गया, जो प्राप्ति और भुगतान नियमावली 1983 के नियम 118 का उल्लंघन है।

(ख) ₹ 8.97 करोड़ के ए.सी. बिलों का गैर-समायोजन

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹ 8.97 करोड़ की राशि के 52 एसी बिल अभी भी बकाया थे और वित्तीय वर्ष 2023-24 (सितंबर 2023 तक) में कोई बिल का निपटान नहीं किया गया था जो प्राप्ति और भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 118 का उल्लंघन है। डी.सी. बिलों की गैर-प्रस्तुति के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इन्हें आहरित किया गया था। इसलिए इन बकाया बिलों के निपटान के लिए निष्ठावान और नियमित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) डी.सी. बिल प्रस्तुत करने में विलंब:

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि डी.सी. बिल उपर्युक्त प्राप्तियों और भुगतान नियमावली के नियम 118 के उल्लंघन में 377 से 648 दिनों के विलंब के बाद प्रस्तुत किए गए थे जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.4: डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब

क्र.सं.	अग्रिम बिल संख्या व तिथि	आहरित राशि ₹ में	डीसी बिल संख्या व तिथि द्वारा निपटान	निपटान में विलंब
1.	एसीबी-867 दिनांक 4.2.2020	81,26,925	डीसीबी-441 दिनांक 15.11.2021	620 दिन
2.	एसीबी -868 दिनांक 4.2.2020	2,98,205	डीसीबी-591 दिनांक 17.03.21	377 दिन
3.	एसीबी-872 दिनांक 5.2.2020	40,120	डीसीबी-494 दिनांक 9.12.21	643 दिन
4.	एसीबी-23 दिनांक 5.5.2020	20,00,000	डीसीबी-730 दिनांक 14.03.2022	648 दिन

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि उपर्युक्त नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में डीसी बिलों की प्रस्तुति में विलंब था। आहरित ए.सी. बिलों के प्रति डीसी बिलों की प्रस्तुति में विलंब के कारण मांगे गए (सितंबर 2023) परंतु विभाग का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है।

4.3.3 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)

क) ₹ 10.96 करोड़ के ए.सी. बिलों का गैर-समायोजन

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹ 10.96 करोड़ के 32 एसी बिल अभी तक बकाया थे (1 अप्रैल 2023 के बाद आहरित ₹ 27,000 के एक एसी बिल सहित)। डी.सी. बिलों की गैर-प्रस्तुति के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए वे आहरित की गई थीं।

ख) डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब

डीआईटी के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि डी.सी. बिल प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के नियम 118 के उल्लंघन में 68 दिनों से 1270 दिनों के विलंब के बाद प्रस्तुत किए गए जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 4.5: डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब

क्र.सं.	अग्रिम बिल संख्या व तिथि	आहरित राशि ₹ में	डीसी बिल संख्या व तिथि द्वारा निपटान	निपटान में विलंब
1.	एसीबी-60 दिनांक 12.7.2019	340003	डीसीबी-219 दिनांक 01.02.2023	1270 दिन
2.	एसीबी-169 दिनांक 05.02.2021	1227612	डीसीबी-178 एवं 40 दिनांक 2.2.2022 एवं 30.5.2022	449 दिन
3.	एसीबी-57 दिनांक 24.6.2021	346581	डीसीबी-219 दिनांक 01.02.2023	557 दिन
4.	एसीबी-241 दिनांक 31.03.2022	828734	डीसीबी-187 दिनांक 21.12.2022	235 दिन
5.	एसीबी-242 दिनांक 31.03.2022	564202	डीसीबी-187 दिनांक 21.12.2022	235 दिन
6.	एसीबी-265 दिनांक 24.03.2023	44213	डीसीबी-85 दिनांक 30.06.2023	68 दिन
7.	एसीबी-266 24.03.2023	188068	डीसीबी-85 दिनांक 30.06.2023	68 दिन
8.	एसीबी-267 दिनांक 24.03.2023	276607	डीसीबी-85 दिनांक 30.6.2023	68 दिन

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि उपर्युक्त नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब था। आहरित ए.सी. बिलों के प्रति डीसी बिलों की प्रस्तुति में विलंब के कारण विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए (सितंबर 2023)।

ग) आकस्मिक व्यय रजिस्टर का निर्धारित प्रारूप में अनुरक्षण न करना

लेखापरीक्षा में देखा गया कि डीआईटी द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 110 के उल्लंघन में आकस्मिक व्यय से संबंधित रजिस्टर को निर्धारित प्रपत्र में नहीं रखा जा रहा था। आकस्मिक व्यय रजिस्टर के गैर-अनुरक्षण के कारण मांगे गए (सितंबर 2023) परंतु विभाग का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है।

4.3.4 व्यापार एवं कर विभाग (डीटीटी)

क) वित्त लेखे तथा विभागीय अभिलेखों के बीच गैर-समायोजित अंतर

जबकि वर्ष 2022-23 के रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं के अनुलग्नक 'डी' ने ₹ 18.05 करोड़ (31 मार्च 2023) के लंबित बकाया ए.सी. बिलों को दर्शाया था, डीटीटी, दिल्ली के कार्यालय के विभागीय अभिलेख ने ₹ 15.27 करोड़ (31 मार्च 2023) के बकाया ए.सी. बिलों को दर्शाया जिसमें ₹ 2.79 करोड़ का अंतर गैर-समायोजित था जो प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 118 का उल्लंघन था।

ख) ₹ 15.27 करोड़ के ए.सी. बिलों का गैर-समायोजन

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जून 2005 से जून 31 मार्च 2023 तक ₹ 15.27 करोड़ के 70 एसी बिल बकाया थे। डी.सी. बिलों की गैर-प्रस्तुति के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए वे आहरित की गई थीं।

ग) डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब

डीटीटी के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि डी.सी. बिलों को प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के नियम 118 के उल्लंघन में 123 से 1306 दिनों तक के विलंब के बाद प्रस्तुत किया गया जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.6: डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब

क्र.सं.	अग्रिम बिल संख्या व तिथि	आहरित राशि ₹ में	डीसी बिल संख्या व तिथि द्वारा निपटान	निपटान में विलंब
1.	एसीबी-343 दिनांक 8.5.2019	3,94,362	डीसीबी-1784 दिनांक 3.1.2023	1306 दिन
2.	एसीबी-1689 दिनांक 8.11.2019	18,880	डीसीबी-102 दिनांक 5.5.2020	149 दिन
3.	एसीबी-1728 दिनांक 19.11.2019	18,09,944	डीसीबी-1712 दिनांक 19.3.2021	456 दिन
4.	एसीबी-1857 दिनांक 5.12.2019	3,61,19,144	डीसीबी-100 दिनांक 6.5.2020	123 दिन
5.	एसीबी-310 दिनांक 1.7.2020	2,71,28,133	डीसीबी-1784 दिनांक 13.1.2023	896 दिन
6.	एसीबी-2035 दिनांक 15.3.2022	8,71,194	डीसीबी-1838 दिनांक 19.1.2023	280 दिन
7.	एसीबी-2127 दिनांक 25.3.2022	88,000	डीसीबी-943 दिनांक 26.8.2022	124 दिन

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में अत्यधिक विलंब था जो उपर्युक्त नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन था। आहरित ए.सी. बिलों के प्रति डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब के कारण प्रस्तुत नहीं किए गए।

4.3.5 परिवहन विभाग

क) वित्त लेखाओं तथा विभागीय अभिलेखों के बीच गैर-समायोजित अंतर:

जबकि वर्ष 2022-23 के रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं के अनुलग्नक 'डी' ने ₹ 15.57 करोड़ (31 मार्च 2023) के लंबित बकाया ए.सी. बिलों को दर्शाया, परिवहन विभाग के विभागीय अभिलेख ने ₹ 12.08 करोड़ (31 मार्च 2023) के बकाया ए.सी. बिलों को दर्शाया जिसमें ₹ 3.49 करोड़ का अंतर गैर-समायोजित रहा जो प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 118 का उल्लंघन था।

ख) ₹ 12.60 करोड़ के ए.सी. बिलों का गैर-समायोजन

परिवहन विभाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹ 12.08 करोड़ के एसी बिल 31 मार्च 2023 तक बकाया थे। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.74 करोड़ के नए एसी बिल 1 अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 तक और जुड़ गए, जिससे कुल बकाया एसी बिल ₹ 12.82 करोड़ हो गए। इसमें से केवल ₹ 0.22 करोड़ के बिलों का निपटान अप्रैल से सितंबर 2023

तक किया गया और शेष ₹ 12.60 करोड़ अभी तक बकाया था। डी.सी. बिलों की गैर-प्रस्तुति के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए वे आहरित की गई थीं। अतः इन बकाया बिलों के निपटान हेतु निष्ठावान तथा नियमित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

ग) डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब

परिवहन विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि डी.सी. बिल प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के नियम 118 के उल्लंघन में 40 दिनों से 1251 दिनों तक के विलंब के पश्चात प्रस्तुत किए गए जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.7: डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब

क्र. सं.	अग्रिम बिल संख्या व तिथि	आहरित राशि ₹ में	डीसी बिल संख्या व तिथि द्वारा निपटान	निपटान में विलंब
1.	एसीबी-3125 दिनांक 7.3.2023	2199000	डीसीबी-330 दिनांक 16.05.2023	40 दिन
2.	एसीबी-557 दिनांक 31.5.2019	9978293	डीसीबी-1602 दिनांक 13.9.2022	1,171 दिन
3.	एसीबी-838 दिनांक 5.7.2019	46668	डीसीबी-2561 दिनांक 6.1.2023	1,251 दिन
4.	एसीबी-1089 दिनांक 5.8.2019	50000	डीसीबी-2398 दिनांक 26.12.2019	113 दिन
5.	एसीबी-1227 दिनांक 20.8.2019	4229816	डीसीबी-656 दिनांक 8.6.2022	993 दिन
6.	एसीबी-1558 दिनांक 25.9.2019	2937725	डीसीबी-1604 दिनांक 13.1.2022	811 दिन
7.	एसीबी-1857 दिनांक 22.10.2019	14,38,13,469	डीसीबी-2823 दिनांक 16.03.2021	481 दिन
8.	एसीबी-1758 दिनांक 16.10.2019	2,96,000	डीसीबी-2619 दिनांक 27.01.2022	804 दिन
9.	एसीबी-3134 दिनांक 20.3.2020	3,34,75,624	डीसीबी-86 दिनांक 12.4.2021	358 दिन
10.	एसीबी-3209 दिनांक 30.3.2020	7379069	डीसीबी-789 दिनांक 26.6.2022	788 दिन
11.	एसीबी-3214 दिनांक 30.3.2020	717712	डीसीबी-859 दिनांक 27.7.2021	454 दिन
12.	एसीबी-3216 दिनांक 30.3.2020	2183806	डीसीबी 1566 दिनांक 12.9.2022	866 दिन
13.	एसीबी-3217 दिनांक 30.3.2020	1948897	डीसीबी-1565 दिनांक 12.09.2022	866 दिन
14.	एसीबी-3245 दिनांक 30.3.2020	31894243	डीसीबी-1039 दिनांक 11.8.2021	469 दिन

आहरित ए.सी. बिलों के प्रति डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब के कारण प्रस्तुत नहीं किए गए (सितंबर 2023)।

घ) आकस्मिक व्यय रजिस्टर का निर्धारित प्रारूप में अनुरक्षण न करना:

लेखापरीक्षा में देखा गया कि परिवहन विभाग द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 110 के उल्लंघन में आकस्मिक व्यय से संबंधित रजिस्टर को निर्धारित प्रपत्र में नहीं रखा जा रहा था। आकस्मिक

व्यय के रजिस्टर को नहीं रखे जाने का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया था (सितंबर 2023)।

4.4 व्यक्तिगत जमा खाते

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 191(3) के साथ पठित नियम 191 में प्रावधान है कि व्यक्तिगत जमा खातों (पीडीए) को खोलने के लिए सामान्य तौर पर निम्नलिखित प्रकार के मामलों में विशेष आदेश के अंतर्गत संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के परामर्श से अधिकृत किया जाता हैः

क) वार्ड और जब्त संपदाओं और सरकारी प्रबंधन के अधीन संपदाओं द्वारा अथवा की ओर से दिए गए धन की देखरेख के उद्देश्य से नियुक्त प्रशासक के पक्ष में। नियम 192(1) के अनुसार ये पीडीए सरकार के पास नहीं जाएंगे भले ही तीन से अधिक पूर्ण वर्षों के लिए बकाया हो;

ख) सिविल एवं आपराधिक न्यायालयों की जमा के संबंध में संबंधित मुख्य न्यायिक प्राधिकरण के पक्ष में और ये पीडीए नियम 192(2) के अनुसार व्यपगत नहीं होंगे;

ग) जहां सरकार की कुछ नियामक गतिविधियों के अंतर्गत प्राप्तियां वसूली जाती है एवं अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी निधि या खाते में जमा की जाती है, जिसका उपयोग उसके अंतर्गत व्यय के लिए किया जाता है एवं इसमें समेकित निधि से कोई व्यय शामिल नहीं होता है। संबंधित अधिनियम के प्रावधान लागू होने तक ये पीडीए सरकार के पास नहीं जाएंगे।

प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाता जो खोले जाने के लिए प्राधिकृत है, सरकारी खाते का भाग होगा तथा उसके लोक लेखा के भाग में स्थित होगा।

31 मार्च 2023 को रा.रा.क्षे.दि.स. के पीडीए का विवरण **तालिका 4.8** में दिया गया है:

तालिका 4.8: 31 मार्च 2023 तक पीडीए का विवरण

01.04.2022 तक पीडीए		वर्ष 2022-23 के दौरान खुले पीडीए*		वर्ष 2022-23 के दौरान बंद हुए पीडीए		31.03.2023 को अंतिम शेष	
संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
12	56.09	शून्य	31.45	01	58.74	11	28.80

*मौजूदा पीडी खाता में प्राप्तियों व भुगतानों की राशि शामिल है

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने **तालिका 4.8** में दर्शाई राशियों की पुष्टि की (फरवरी 2024)।

प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय के व्यक्तिगत जमा खातों को दिसंबर 2022 में बंद कर दिया गया तथा राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन यूनिट (एनपीआईयू) के ₹ 4,42,989 शेष को आरबीआई में भेजा गया था।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के प्रशासक 11 पीडीए संचालित कर रहे हैं। इन पीडीए को खोलने का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण प्राधिकारियों (दि.वि.प्र. आदि) से प्राप्त मुआवज़े को जमा करना, भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों, के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि मालिकों को भुगतान करना पेपर बुक-केस में जांच शुल्क, सुरक्षा शुल्क, चुनाव याचिकाओं की फीस, सिविल जमा, फौजदारी जमा तथा अदालत के आदेश के अनुसार वादियों का किराया आदि के भुगतान के लिए था। 31 मार्च 2023 को इन 11 पीडीए में ₹ 28.80 करोड़ जमा था जो व्यपगत नहीं हैं।

11 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 28.80 करोड़ के बकाया के कारण मांगे गए थे (सितंबर 2023) और वे प्रतीक्षित हैं।

पीडी खातों का विश्लेषण

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे में निहित पीडीए से संबंधित तथ्यों तथा आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए दो विभाग/संस्थान जैसे भूमि एवं भवन विभाग और जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे-4), साउथ कोर्ट, साकेत का चयन विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए किया गया।

विभाग-वार प्रमुख अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती पैराओं में चर्चा की गई है।

4.4.1 जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे-4) साउथ कोर्ट, साकेत

सिविल लेखा नियमावली 2007 का नियम 17.7.5 निर्धारित करता है कि प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाते के लिए वेतन एवं लेखा अधिकारी निरपवाद रुप से बैंक स्क्रॉल में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों एवं पीडी खाताधारक द्वारा किए गए प्राप्तियों एवं व्यय के मासिक विवरण के प्रति पीडी खाते से प्राप्तियों एवं भुगतानों का मासिक मिलान करेगा। पीडी खाताधारक उनके द्वारा जारी किए गए उन चैकों का विवरण दर्शाएगा जो माह के अंत तक भुनाए नहीं गए हैं। इस उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत जमा खाते से संबंधित "प्राप्तियों और भुगतानों के रजिस्टर का संक्षिप्त विवरण" पीडी खाताधारक द्वारा संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे-4) के पीडी खाते के लिए प्राप्तियों तथा भुगतानों का मासिक मिलान नहीं किया गया था जो उपर्युक्त नियम का उल्लंघन है।

इसके अतिरिक्त, पीडी खाता संचालक द्वारा प्रस्तुत उत्तर (अक्टूबर 2023) के अनुसार व्यक्तिगत जमा खाता के लिए रोकड़ बही नहीं रखी जा रही है। आगे यह आश्वासन दिया गया कि भविष्य में नियंत्रण अधिकारी द्वारा मासिक जांच की जाएगी।

4.4.2 भूमि एवं भवन विभाग

भूमि एवं भवन विभाग (एलबीडी) भारतीय रिजर्व बैंक में व्यक्तिगत जमा खाता (पीडीए) रखता है। एलबीडी द्वारा भूमि की आवश्यकता वाली एजेंसी से प्राप्त की गई/प्राप्त की जाने वाली भूमि के मुआवजे के लिए प्राप्त धनराशि इस खाते में जमा की जाती है।

आरबीआई की विवरणी के अनुसार 31 मार्च 2023 को इस खाते में ₹ 24.72 करोड़ की राशि पड़ी थी। एलबीडी की रोकड़बही के अनुसार पीडीए का अंतिम शेष ₹ 23.92 करोड़ है। ₹ 0.80 करोड़ का अंतर जारी किए गए परंतु प्रस्तुत नहीं किए गए चैकों के कारण है तथा आरबीआई विवरणी के साथ ₹ 1,202.80 की भिन्नता के कारण भी है जिसे आरबीआई के साथ समाधान करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 31 मार्च 2023 को अंतिम शेष राशि में से ₹ 23.92 करोड़, छः वर्ष और उससे अधिक समय से वितरण के लिए लंबित है जिसके लिए विभाग द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया। इसके अतिरिक्त शेष ₹ 0.80 करोड़ जो एलएसी/एजेंसियों से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने तथा एडीजे/उच्च/उच्चतम न्यायालय इत्यादि में लंबित अदालती मामलों के कारण 2022-23 में एलएसी को वितरित नहीं किया गया था, वास्तव में 2023-24 में वितरित किया गया था।

विभाग ने कहा (सितंबर 2023) कि संबंधित एलएसी/एजेंसियों से अपेक्षित सूचना/स्पष्टीकरण मांगने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जा रहे थे।

4.5 लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

बजटिंग एवं लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, खातों के प्रकार जिसमें सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय को विधानमंडल को सूचित किया जाता है, की लागतार समीक्षा की जानी चाहिए और अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि वे वास्तव में सभी महत्वपूर्ण हितधारकों की आधारभूत सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारदर्शी तरीके से सरकार की सभी प्रमुख गतिविधियों पर प्राप्तियों और व्यय को प्रतिबिंबित करें। इस उद्देश्य के लिए 'अन्य प्राप्तियों' एवं 'अन्य व्यय' से संबंधित लघु शीर्ष-'800' को केवल तभी संचालित करना अपेक्षित है जब खातों में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बड़ी राशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है तथा आवंटित प्राथमिकताओं के उचित विश्लेषण तथा व्यय की गुणवत्ता को विकृत करता है।

लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह खातों को अपारदर्शी बनाता है।

चार्ट 4.4 : 2018-2023 के दौरान लघु शीर्ष '800 - अन्य व्यय' का संचालन

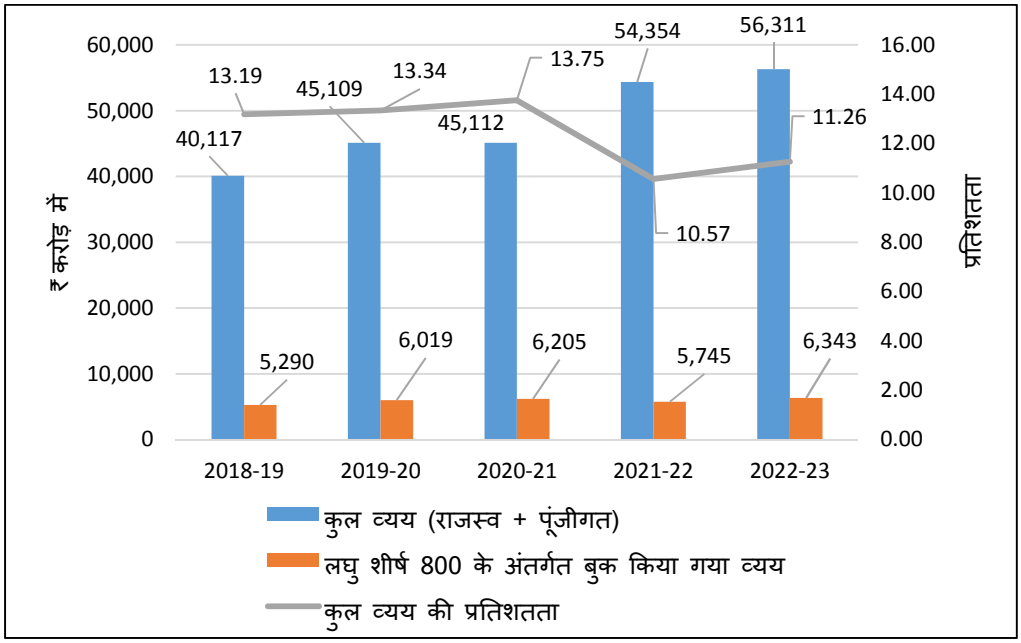

स्रोतः प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

उपर्युक्त **चार्ट 4.4** से यह देखा जा सकता है कि 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुक किए गए व्यय की प्रतिशतता 10.57 *प्रतिशत* (2021-22) से 13.75 *प्रतिशत* (2020-21) के बीच थी।

पिछले वर्ष 2021-22 में व्यय पक्ष पर 42 राजस्व और पूंजीगत मुख्य लेखा शीर्षों में लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत ₹ 5,745 करोड़ दर्ज किए गए थे जो ₹ 54,354 करोड़ (राजस्व एवं पूंजीगत) के कुल व्यय का 10.57 *प्रतिशत* था। इसके अतिरिक्त उक्त लघु शीर्ष के अंतर्गत बुकिंग चालू वर्ष के दौरान 0.69 *प्रतिशत* तक बढ़ गई तथा 40 राजस्व और पूंजीगत मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत वे व्यय पक्ष पर ₹ 6,343 करोड़ रही जो कुल व्यय ₹ 56,311 करोड़ (राजस्व और पूंजीगत) का 11.26 *प्रतिशत* था।

मई 2016 में महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करते हुए दिशानिर्देश जारी किए थे कि लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' का उपयोग जहां कहीं भी तत्काल आवश्यक हो और तुलनात्मक रूप से कम राशियों के लिए (उदाहरणार्थ मुख्य शीर्ष प्रावधान का 5-10 *प्रतिशत*) अस्थायी होना चाहिए।

हालांकि लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि **तालिका 4.9** में सूचीवद्ध 12 मामलों में संबंधित मुख्य शार्ष के अंतर्गत कुल व्यय का 50 *प्रतिशत* या अधिक ले.म.नि. के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

तालिका 4.9: लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुक किए गए महत्वपूर्ण व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रं.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुक किए गए व्यय	संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	कुल व्यय की तुलना में लघु शीर्ष-800 में व्यय की प्रतिशतता
1.	2013-मंत्रि परिषद	4.90	7.95	61.64
2.	2075-विविध सामान्य सेवाएं	17.46	18.17	96.09
3.	2211-परिवार कल्याण	89.47	102.52	87.27
4.	2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	1.32	1.32	100
5.	2404-डेरी विकास	13.51	13.51	100
6.	2702-लघु सिंचाई	22.36	25.96	86.13
7.	2801-पॉवर	3,182.48	3,182.48	100
8.	3075- अन्य परिवहन सेवाएं	0.23	0.23	100
9.	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	251.47	251.47	100
10.	4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	9.86	19.54	50.47
11.	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	86.73	87.23	99.43
12.	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.68	0.68	100
	कुल	**3,680.47**	**3,711.06**	**99.18**

2022-23 के दौरान ₹ 62,702.84 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से ₹ 659.50 करोड़ की प्राप्तियों को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जो कुल प्राप्तियों का 1.05 *प्रतिशत* था। 2022-23 के दौरान लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत बुक की गई महत्वपूर्ण प्राप्तियों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.10: लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत बुक की गई महत्वपूर्ण प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शार्ष	लघु शीर्ष 800 'अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत बुक की गई प्राप्तियां	संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियां	कुल प्राप्तियों की तुलना में लघु शीर्ष-800 में प्राप्तियों का प्रतिशतता
1.	0059- लोक निर्माण कार्य	41.00	42.93	95.50
2.	0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	64.72	123.18	52.54
3.	0202- शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति	6.52	7.94	82.12
4.	0210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	94.71	115.60	81.93
5.	0217- शहरी विकास	1.13	1.13	100
6.	0230- श्रम एवं रोजगार	3.08	4.44	69.44
7.	0701- मध्यम सिंचाई	22.13	22.13	100
8.	0801- पॉवर	61.59	61.16	100
	कुल	**294.88**	**378.51**	**77.90**

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बड़ी राशि का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है तथा आवंटित प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है। इस मामले को रा.रा.क्षे.दि.स. के पूर्व राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया था। हालांकि अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत आने वाली सभी मदों की व्यापक समीक्षा कर सकती है और वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऐसी प्राप्तियों और व्यय को दर्ज करने के लिए नए लेखा शीर्ष खोलने की संभावनाओं का पता लगा सकती है।

इसके अतिरिक्त रा.रा.क्षे.दि.स. एक अंतरिम उपाय के रूप में, लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों/व्यय' के अंतर्गत विलय की गई महत्वपूर्ण पहलों पर व्यय/प्राप्तियों के विवरण देते हुए वित्त लेखे में फुटनोटों में शामिल की जा सकती है।

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (अक्टूबर 2023) कि इसने पहले ही लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत प्राप्ति एवं व्यय के वर्गीकरण की समीक्षा की पहल की थी तथा इस लघु शीर्ष के अंतर्गत बजट की बड़ी राशि को पहले ही समुचित लघु शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

हालांकि तथ्य यह है कि ₹ 6,343 करोड़ के व्यय को 2022-23 के दौरान लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुक किया गया है।

4.6 स्वायत निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

नि.म.ले.प. (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 एवं 20 के अंतर्गत 11 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. को सौंपी गई है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय में 2022-23 तक देय दस निकायों/प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे सितम्बर 2023 तक प्राप्त नहीं हुए थे। इन बकाया लेखाओं के विवरण **तालिका 4.11** में दिये गये हैं।

तालिका 4.11: 30 सितम्बर 2023 को बकाया लेखाओं का विवरण

क्र.स.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे कब से लंबित	30.09.2023 को बकाया लेखाओं की संख्या
1	दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)	2018-19	5
2	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी)	2014-15	1[2]
3	दिल्ली कल्याण समिति (डीकेएस)	2022-23	1
4	दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए)	2019-20	4
5	अम्बेडकर विश्वविद्यालय (एयू)	2022-23	1
6	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू)	2022-23	1
7	दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)	2022-23	1
8	दिल्ली कौशल उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू)	2020-21	3
9	डीटीसी ईपीएफ ट्रस्ट	2022-23	1
10	डीटीसी पेंशन ट्रस्ट	2022-23	1
	कुल		**19**

उपर्युक्त से यह अवलोकन किया गया कि 30 सितम्बर 2023 को दस निकायों/प्राधिकरणों के 19 वार्षिक लेखे लंबित थे।

वार्षिक लेखाओं को समय से अंतिम रुप देने के अभाव में, सरकार का निवेश लेखापरीक्षा/राज्य विधान मंडल की जाँच से बाहर रह जाता है। परिणामस्वरुप जवाबदेही सुनिश्चित करने और दक्षता में सुधार लाने के लिए, यदि आवश्यक हो सुधारात्मक उपाय समय पर नहीं किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, लेखाओं

[2] कार्यभार केवल 2014-15 तक ही उपलब्ध है। इसलिए केवल एक वर्ष के खातों को बकाया के रूप में लिया गया है।

को अंतिम रुप देने में विलम्ब होने से धोखाधड़ी और जनता के पैसे की बर्बादी का जोखिम बढ़ जाता है।

सरकार निकायों/प्रधिकरणों द्वारा वार्षिक लेखाओं के संकलन एवं प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए प्रणाली पर विचार कर सकती है।

4.7 वित्त लेखाओं के विवरणों में अन्य अशुद्धियां

i) ऋणों और अग्रिमों का ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष

रा.रा.क्षे.दि.स. के वर्ष 2022-23 के वित्त लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि विवरण संख्या 16 (रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा गए ऋण और अग्रिमों का विस्तृत विवरण-2022-23 के वित्त लेखे) में ऋण और अग्रिमों के ऋणात्मक/ प्रतिकूल शेष थे। ऋणात्मक/प्रतिकूल शेषों का विवरण नीचे **तालिका 4.12** में दिया गया है।

तालिका 4.12: ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	लघु शीर्ष	31.03.2023 तक शेष
1	6401	कृषि फर्म के लिए ऋण	105-खाद एवं उर्वरक	(-)90.08
2	7610	सरकारी सेवकों को ऋण	201-आवास निर्माण अग्रिम	(-)545.22
3	7610	सरकारी सेवकों को ऋण	202-मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	(-)251.88
4	7610	सरकारी सेवकों को ऋण	203-अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	(-)26.67
5	7610	सरकारी सेवकों को ऋण	204-कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	(-)131.23

मुख्य शीर्ष '6401-कृषि फर्म के लिए ऋण' के संबंध में प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने पिछले साल के उत्तर को दोहराया (अक्टूबर 2023) कि वित्त लेखाओं में दिखाई गई ऋणात्मक राशि पुरानी अवधि से संबंधित है और इसमें शामिल संबंधित पीएओ को गलत वर्गीकरण का पता लगाने और उसे उचित लेखा शीर्ष में दर्ज करने की सलाह दी जा रही थीं।

मुख्य शीर्ष '7610-ऋण और अग्रिम' के संबंध में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने पिछले साल के उत्तर को दोहराया (अक्टूबर 2023) कि प्रतिकूल शेष मूल राशि में ब्याज राशि की गलत बुकिंग के कारण थे और इनमें उचित सुधार के लिए अगले वित्तीय वर्ष में पीएओ के साथ समीक्षा की जाएगी।

उपर्युक्त उत्तर स्थिति में कोई सुधार नहीं होने का संकेत देते हैं और स्थिति को स्पष्ट करने और सुधारने के लिए सक्षम प्राधिकारी के प्रयासों की कमी को भी उजागर करते हैं।

ii) ऋण एवं अग्रिम का बकाया

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के विवरण की जांच (विवरण संख्या 16 की धारा 3- विभिन्न ऋणी निकायों से बकाया पुनर्भुगतान) से पता चला कि 31 मार्च 2023 तक ₹ 1,55,805.74 करोड़ बकाया के रूप में शेष थे जैसा कि नीचे **तालिका 4.13** में वर्णित है।

तालिका 4.13: ऋण और अग्रिम का बकाया

(₹ लाख में)

ऋण लेने वाले का नाम	31 मार्च 2023 तक बकाया राशि			प्रारंभिक अवधि जिससे बकाया संबंधित है	लम्बित
	मूलधन	ब्याज	कुल		
दिल्ली नगर निगम	3,75,226.83	3,84,436.58	7,59,663.41	1950-51	72 साल
दिल्ली जल बोर्ड	34,53,968.53	35,82,996.50	70,36,965.03	1998-99	24 साल
दिल्ली शहरी आश्रय निवेश बोर्ड	1,04,855.77	56,495.40	1,61,351.17	2011-12	11 वर्ष
दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड	315.05	0.00	315.05	1977-78	45 वर्ष
दिल्ली एससी वित्तीय विकास निगम दिल्ली	6,873.85	3,730.72	10,604.57	1987-88	35 वर्ष
दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (डीएससीएससीएल)	436.34	981.77	1,418.11	1998-99	24 साल
दिल्ली वित्त निगम	3,300.00	2,805.00	6,105.00	2015-16	07 वर्ष
सहकारी संस्थाएँ	61.33	234.63	295.96	1962-63	60 साल
दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	0.00	1,769.12	1,769.12	2018-19	04 वर्ष
दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	3,32,639.00	2,90,380.18	6,23,019.18	2014-15	08 वर्ष
प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	2,784.28	2,784.28	2014-15	08 वर्ष
इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल)	0.00	51,490.91	51,490.91	2012-13	10 वर्ष
दिल्ली विकास प्राधिकरण	225.00	1152.90	1377.90	1979-80	43 वर्ष
दिल्ली परिवहन निगम	11,67,614.46	5,75,4042.81	69,21,657.27	1996-97	26 साल
दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम	0.00	637.74	637.74	1973-74	49 वर्ष
दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	176.14	627.49	803.63	2005-06	17 वर्ष
उद्योग	8.39	307.14	315.53	1981-82	41 वर्ष
कुल अनुदान	**54,45,700.69**	**1,01,34,873.17**	**1,55,80,573.86**		

इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि विवरण सं. 16 में दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी) (₹ 436.34 लाख) और दिल्ली एससी वित्तीय विकास निगम (₹ 1,356.94 लाख) के दो ऋणों के खाते पर प्राप्तियों को

प्रतिबिंबित नहीं किया गया क्योंकि ऋणों के पुनर्भुगतान के नियम और शर्तें अभी तक नियत नहीं थीं। यद्यपि ये क्रमश: 1998-99 और 1987-88 की प्रारंभिक अवधि से संबंधित थे।

डीएससीएससी से बकाया ऋणों के संबंध में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने ऋण और अर्जित ब्याज की माफी के लिए खाद्य और आपूर्ति विभाग (वित्त विभाग को) की सिफारिश को सूचित (सितंबर 2023) किया। शेष ऋणों के संबंध में प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (अक्टूबर 2023) कि मामले को कारण बताने के अनुरोध के साथ संबंधित विभागों को भेजा गया है। संबंधित विभागों के उत्तर प्रतीक्षित थे।

iii) विवरण संख्या 11 में दर्शाई गई निवेश की संचयी राशि विवरण संख्या 12 में दर्शाए गए कुल निवेश से मेल नहीं खाती है

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 तथा विवरण संख्या 12 से पता चला कि विवरण संख्या 11 और 12 में दिखाए गए निवेश में ₹ 289.19 करोड़ का अंतर है (विवरण नीचे दी गई **तालिका 4.14** में दिखाया गया है):

तालिका 4.14 एफए के विभिन्न विवरणों में निवेश के संचयी मूल्य में बेमेल

क्र.सं.	विवरण संख्या 11 में विभिन्न लघु शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया निवेश	राशि (₹ हजार में)
1	4216.80.201-हाउसिंग बोर्ड में निवेश	3,00,200
2	4217.01.190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	70,000
3	4217.02.190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	35,07,500
4	4225.01.190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	2,34,887
5	4425.107-ऋण सहकारी समितियों में निवेश	4,852
6	4425.108-अन्य सहकारी समितियों में निवेश	1,557
7	4425.200-अन्य निवेश	4,531
8	4801.05.190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रम में निवेश	7,10,67,800
9	4853.60.190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रम में निवेश	31,800
10	4885.01.190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रम में निवेश	1,73,500
11	5055.00.190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रम में निवेश	13,77,92,617
12	5452.80.190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रम में निवेश	2,43,181
	विवरण संख्या 11 में दिखाई गई वर्ष 2022-2023 के अंत में निवेश की संचयी राशि	**21,34,32,425**
	विवरण संख्या 12 तथा विवरण 12 के अनुलग्नक में दर्शाई गई राशि	**21,05,40,491**
	विवरण संख्या 12 में दर्शाए गए आंकड़े तथा कुल निवेश के संचयी आंकड़े में अंतर जैसा कि विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया है	**28,91,934**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने तथ्यों को स्वीकार किया और अंतर आने के विभिन्न कारणों को सूचित किया। हालांकि सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रयासों का संकेत नहीं दिया गया। चूंकि यह पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित किया गया, यह अनुरोध किया जाता है कि इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

iv) वर्ष 2022-23 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं के विभिन्न विवरणों में अन्य विसंगतियां/अशुद्धियां

वर्ष 2022-23 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं के विभिन्न विवरणों में निम्नलिखित विसंगतियां/अशुद्धियों को देखा गया।

क) वित्त लेखाओं के विवरण 11 और विवरण 12 में दर्ज निवेश आंकड़ों की असंगतता

विवरण संख्या 12 के अनुसार, सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 34,28,100 (हजार) का निवेश किया गया है जबकि विवरण संख्या 11 में दर्ज ₹ 35,65,600 (हजार) निवेश 5055.00.190 शीर्ष के तहत है।

विभाग ने कहा (सितंबर 2023) कि डीटीसी तथा क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के लिए ₹ 13.75 करोड़ की व्यय की गई राशि को विवरण संख्या 12 में निवेश के रूप में नहीं माना गया। हालांकि तथ्य यह है कि विवरण संख्या 11 में व्यय को गलत तरीके से दर्ज किया गया था।

इसी प्रकार वर्ष 2021-22 के लिए एसएफएआर में ₹ 19.61 करोड़ का अंतर इंगित किया गया। इस संबंध में प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने बताया (अक्टूबर 2023) कि मामले को वित्त विभाग तथा परिवहन विभाग के पास उनकी टिप्पणियां मांगने के लिए भेजा गया था। आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

ख) वर्ष 1998-99 से बकाया ऋण के बावजूद निकायों को नए सिरे से ऋण संवितरण

वर्ष 2022-23 के लिए दिल्ली की रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं (विवरण संख्या 16 की धारा 3 तथा वर्ष के दौरान किए गए नए ऋण तथा अग्रिमों का अतिरिक्त प्रकटीकरण) की संवीक्षा से पता चला कि दिल्ली जल बोर्ड पर

बकाया ऋण होने के बावजूद डीयूएसआईबी तथा डीएससीएससी, दिल्ली की रा.रा.क्षे.दि.स. को **तालिका 4.15** के अनुसार ₹ 2,98,355.41 लाख का नया ऋण वितरित किया गया है।

तालिका 4.15: चूककर्ता ऋणी निकायों को नए ऋणों का संवितरण

ऋणी निकाय	मार्च 2023 तक बकाया राशि (ऋण+ब्याज) (₹ करोड़ में)	प्रारंभिक अवधि जिससे बकायों संबंधित है	वर्ष 2022-23 के दौरान नए ऋण अग्रिम (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2023 तक कुल बकाया ऋण (₹ करोड़ में)
दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)	70,369.65	1998-99	2,826.90	**37,366.59**
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी)	1,613.51	2011-12	106.65	**1,155.21**
दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी)	14.18	1998-99	50.00	**54.36**
			2,983.55	

खाद्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले के विभाग (सितंबर 2023) ने कहा कि यह दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरे ऋण का पुनर्भुगतान कर देगा। शेष निकायों के उत्तर प्रतीक्षित थे।

4.8 दिल्ली राज्य वित्त आयोग

सितंबर 2023 को 2021-2026 की अवधि के लिए छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया है।

कैबिनेट निर्णय संख्या 2670 दिनांक 01 जनवरी 2019 के माध्यम से मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार रा.रा.क्षे.दि.स. को एक वर्ष में रा.रा.क्षे.दि.स. के शुद्ध कर संग्रह (एनटीसी)[3] का 12.5 *प्रतिशत* हस्तांतरित करना था। उपर्युक्त का 6 *प्रतिशत* निर्धारित सूत्र में पांच नगर पालिकाओं[4] को उपलब्ध कराया जाएगा। शेष 6.5 *प्रतिशत* स्वास्थ्य के अंतर्गत योजनाओं के लिए हस्तांतरित किया जाना था। स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, शहरी विकास विभाग तथा स्थानीय निकायों के साथ उचित परामर्श के बाद शिक्षा और शहरी विकास क्षेत्र में सुधार किया जाएगा।

[3] निवल कर संग्रह = सकल कर संग्रह का 99% (-) स्थानांतरण शुल्क और समय पर पार्किंग शुल्क जो रा.रा.क्षे.दि.स. विभाग नगर पालिकाओं से एकत्र करते हैं

[4] एमसीडी-पूर्व, एमसीडी-उत्तर, एमसीडी-दक्षिण, एनडीएमसी और दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी)

एफएफसी का अधिदेश 2016-2021 की अवधि के लिए था। एफएफसी के अधिदेश की समाप्ति के दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी छठे वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन नहीं किया गया था, निधियों का हस्तांतरण अभी भी एफएफसी की सिफारिशों के अनुसार किया जा रहा है। यूडी विभाग ने जवाब दिया (सितंबर 2023) कि उपराज्यपाल को एसएफसी के गठन के लिए एक नया प्रस्ताव दिया गया था।

शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. को लेखापरीक्षा अभ्युक्ति प्रेषित की गई (सितंबर 2023) और उत्तर प्रतीक्षित है।